

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)  
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /104/2024/

दिनांक 01/08/24

धारा 136 एल.आर.एक्ट

उनवान- कालूलाल पिता महताब मेघवाल नि० वार्ड न० 4 झालावाड़  
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़

-: आदेश :- दिनांक 01/08/2024

प्रार्थी कालूलाल पिता महताब मेघवाल नि० वार्ड न० 4 झालावाड़ के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हेमड़ा पटवार मण्डल हेमड़ा तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 मे खाता संख्या 444 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम व जाति) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम हेमड़ा पटवार मण्डल	444	कारूलाल पुत्र महताब चमार	कालूलाल पुत्र महताब मेघवाल
2	हेमड़ा तहसील सुनेल		(शेष खातेदारान की जाति) चमार	मेघवाल

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़ (राज०)

क्रमांक:- राजस्व/2024/104

दिनांक 01/08/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़ (राज०)

